

# राजस्थान में जल जीवन मशिन घोटाला

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में <u>केंद्रीय अनुवेषण ब्यूरो (CBI)</u> ने राजस्थान में केंद्रपोषति <u>जल जीवन मशिन योजना</u> घोटाला मामले में <u>परथम सूचना रिपोर्ट (FIR)</u> दर्ज की है।

# मुख्य बदुि:

- अधिकारियों के अनुसार, जयपुर स्थिति ठेकेदारों ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिग विभाग से निविदाएँ प्राप्त करने के लिये कथित तौर पर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटिंड (IRCON) द्वारा जारी फर्जी समापन प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कथि।
- अगस्त 2023 में दर्ज आठ महीने से लंबित प्रारंभिक जाँच के निष्कर्ष के बाद CBI द्वारा कार्रवाई की गई।



//\_

### केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI)

• केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है।

- यह केंद्रीय सतरकता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग [जो प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office-PMO) के अंतर्गत आता है ] के अधीक्षण में कार्य करता है ।
  - ॰ हालाँक <u>भरषटाचार निवारण अधिनियिम, 1988</u> के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) के पास है।
- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो **इंटरपोल** की ओर से इसके सदस्य देशों में अनुवेषण संबंधी समनुवय करती है।
- इसकी अपराध सिद्धि दर (Conviction Rate) 65 से 70% तक है, अतः इसकी तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसियों से की जा सकती है।

### प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report- FIR

- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) एक लिखिति दस्तावेज़ है जो पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है।
- यह एक सूचना रिपोर्ट है जो समय पर सबसे पहले पुलिस तक पहुँचती है, इसीलिये इसे **प्रथम सूचना रिपोर्ट** कहा जाता है।
- यह आमतौर पर एक संज्ञेय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत होती
  है। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखिति रूप में दे सकता है।
- FIR शब्द भारतीय दंड संहता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहता (CrPC), 1973 या किसी अन्य कानून में परिभाषित नहीं है।
- हालाँक पुलिस नियमों या कानूनों में CrPC की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रापीर्ट (FIR) के रूप में जाना जाता है।
- FIR के तीन महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं:
  - ॰ जानकारी एक **संज्ञेय अपराध से संबंधति** होनी चाहिय।
  - ॰ यह सुचना लखिति या **मौखिक रूप में थाने के प्रमुख को** दी जानी चाहिये।
  - इसे **मुखबरि द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये** और इसके **प्रमुख बिदुओं** को **दैनिक डायरी में दर्ज** किया जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jal-jeevan-mission-scam-in-rajasthan